न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1373/2026
द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–90/2026

UPGZ010031372026

खुशीलाल पुत्र जीवनलाल, निवासी–डी–4/424, डी–ब्लॉक, जनता जीवन कैम्प औखला इण्डस्ट्रीयल एरिया–2 साउथ दिल्ली, दिल्ली–––––––––––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य–––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–59/2026
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद

11.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–59/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–कौशाम्बी, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से गुलशन पुत्र लक्ष्मी प्रसाद का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना, एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी दर्शित है वह थाना हाजा की पुलिस द्वारा झूठी एवं फर्ज दर्शायी गयी है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त अपने किसी काम से दिल्ली से इन्द्रापुरम अपने परिचित के यहाँ आया था, जब वह रात्रि में वापस अपने घर दिल्ली जा रहा ता तो रास्ते में ताना हाजा की पुलिस पूछताछ के बहाने थाने ले गयी तथा छोड़ने की एवज में अवैध धन की मांग की, मांग पूरी न करने पर उक्त झूठी बरामदगी दिखाते हुए उक्त मुकदमें में जेल भेज दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्त अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है, अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक अभियुक्त से 01 किलोग्राम 720 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अतः आवेदक अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त के कब्जे से पुलिस हमराही बल द्वारा 01 किलोग्राम 720 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया जाना अभिवर्णित है। थाना हाजा की आख्या अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। आवेदक अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों तथा बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को दौरान जाँच एवं विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त खुशीलाल की ओर से मु०अ०सं०–59/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–कौशाम्बी, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन सं०–90/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अंकन 60,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्त जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्षियों से प्रतिपरीक्षा, कथन अन्तर्गत धाराः 313 दं०प्र०सं० तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480